




झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,  
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची- 834010  
e-mail- jharkhand\_ssc@rediffmail.com

## विवरणिका

विज्ञापन संख्या-08/2017

{गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीन इंडिया रिजर्व बटालियन के सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति के निमित्त चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा-2017}

इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा- 2017



India Reserve Batalion General Constable Competitive Exmination-2017

{IRBGCCE-2017}

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक- 11/क.च.आ.-02-06/2014 (खण्ड) का. 3113 (अनु.), दिनांक- 15.03.2017 के द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा- 2017 के लिये **ऑन-लाईन (Online)** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार यथा निर्धारित अर्हता सामान्य आरक्षी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन दे सकते हैं। ऑन-लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट- [www.jssc.in](http://www.jssc.in) अथवा [www.jssc.nic.in](http://www.jssc.nic.in) पर लॉगईन (**log in**) करके समर्पित किया जा सकता है।

## 2. कोटिवार रिक्तियों की विवरणी :- कुल रिक्ति- 2810

|            | अनारक्षित   | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | पिछड़ा वर्ग (अनु0-2) | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु0-1) |
|------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| पुरुष      | 955         | 183           | 484              | 100                  | 161                         |
| महिला      | 471         | 90            | 238              | 49                   | 79                          |
| <b>कुल</b> | <b>1426</b> | <b>273</b>    | <b>722</b>       | <b>149</b>           | <b>240</b>                  |

**टिप्पणी :-** अनुसूचित जन जाति की कुल 722 रिक्तियों में 2 % अर्थात् 14 पद आदिम जन जातियों के लिये क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगे। आदिम जन जाति के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके लिए रिक्त कर्णाकित पद अ0ज0जाति के योग्य अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। प्रमाण पत्र जाँच के पश्चात अभ्यर्थी की पात्रता के बिन्दु पर अंतिम निर्णय हो सकेगा। **किसी भी समय पात्रता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन/अभ्यर्थिता रद्द किया जा सकता है।**

5. कंडिका- 2 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

| क्रम सं0 | पदनाम                                | वेतनमान   | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को) |
|----------|--------------------------------------|---|--|
| 1        | 2                                    | 3   | 4  |
| 1        | सामान्य आरक्षी इंडिया रिजर्व बटालियन | वेतन बैंड पी0बी0I- रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन- रू0 2000/- (अपुनरक्षित वेतनमान) | प्रवेशिकोउत्तीर्ण।   |

**टिप्पणी :-** हिन्दी विद्यापीठ देवघर से प्राप्त 10वीं कक्षा के समकक्ष उत्तीर्णता प्रामाण्य पत्र मान्य नहीं होगा।

6. शारीरिक योग्यता :-

| क्रमांक | आरक्षण वर्ग | ऊँचाई (से0मी0) | सीना (से0मी0) |
|---------|-------------|----------------|---------------|
| 1.      | अनारक्षित   | न्यूनतम 160    | न्यूनतम 81    |

|    |                                 |             |            |
|----|---------------------------------|-------------|------------|
| 2. | अनुसूचित जनजाति                 | न्यूनतम 155 | न्यूनतम 79 |
| 3. | अनुसूचित जाति                   | न्यूनतम 155 | न्यूनतम 79 |
| 4. | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) | न्यूनतम 160 | न्यूनतम 81 |
| 5. | पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)         | न्यूनतम 160 | न्यूनतम 81 |
| 6. | महिला                           | न्यूनतम 148 | —          |

अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेश/नाईट ब्लाइंडनेश, श्रवण शक्ति, हकलाहट, बेरिशोसेल (Bericocele)/हाईड्रोशील/पाईल्स तथा किसी प्रकार के संक्रामक रोग/मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। परीक्षण में उपरोक्त वर्णित दोष पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के अयोग्य होंगे।

7. **आयु सीमा:**— उम्र की गणना दिनांक— 01.08.2017 के आधार पर की जायेगी।

1. न्यूनतम उम्र — 18 वर्ष ।
2. अधिकतम उम्र :—

| क्रम संख्या | वर्ग  | अन्य अभ्यर्थी |
|-------------|---|---------------|
| 1.          | अनारक्षित/सामान्य—  | 25 वर्ष       |
| 2.          | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)— (पुरुष)  | 27 वर्ष       |
| 3.          | झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी श्रेणी की {अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)}— की महिला— | 28 वर्ष       |
| 4.          | अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)   | 30 वर्ष       |

8. **आरक्षण:**—

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ एवं अधिकतम उम्र सीमा (25 वर्ष) में छूट का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी यथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0-1), पिछड़ा वर्ग (अनु0-2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) इस विज्ञापन के अधीन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:—

- (i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र— जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी से विहित—प्रपत्र **परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र** में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र।

- (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए जाति प्रमाण पत्र परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र।
- (iii) अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए झारखण्ड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र दिनांक- 02.06.2016 अथवा इसके बाद की तिथि में निर्गत होना चाहिए।
- (iv) आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग/जाँच आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I, परिशिष्ट-II एवं परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र से भिन्न प्रपत्र में अथवा अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा अथवा उनके आवेदन पत्र रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9. **ON LINE आवेदन पत्र को भरना एवं Submit करना:**—ऑन-लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) अथवा [www.jssc.nic.in](http://www.jssc.nic.in) पर जाएँ एवं Online Application for IRBGCCCE-2017 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें।

शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण का दावा के संबंध में अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि आवेदन की तिथि तक वे आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं एवं एतत् संबंधी वांछित प्रमाण-पत्र उनके पास उपलब्ध है।

आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।

अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि **Online** आवेदन फार्म भरने के पूर्व में आयोग के अधिकृत वेबसाईट से परीक्षा की विवरणिका **Download** करने के पश्चात् ही फार्म भरें। वाह्य स्रोत से उपलब्ध विवरणिका के आधार पर फार्म भरने में यदि कोई त्रुटि होती है तो आवेदक स्वयं इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

## 10 . ऑनलाईन (Online)आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश :-

- (I) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (II) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा- तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।
- (III) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के अधिकृत वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) अथवा [www.jssc.nic.in](http://www.jssc.nic.in) पर जाएँ एवं **Online Application for IRBGCCE-2017** को **Click** करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण (**Registration**) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉग-इन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आप पुनः लॉग-इन करें अथवा **Proceed** पर क्लिक कर आप अपने बारे में विस्तृत सूचना भरें। ऑनलाईन आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को **Save and Next** करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है अन्यथा भरे गये आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकल पायेगा। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के अगले दिन अपराह्न 02:00 बजे के पश्चात पुनः लॉगिन कर अपना स्कैन (**Scanned**) किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें तथा भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट अवश्य लें एवं उसे सुरक्षित रखें।

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन Online Submit नहीं हो पायेगा। ऑन-लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 05.08.2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न से उपलब्ध होगा तथा आवेदन को भेजने (Submit) करने की अन्तिम तिथि दिनांक 04.09.2017 संध्या 05.00 बजे तक है। दिनांक- 04.09.2017 के बाद दिनांक 08.09.2017 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए लिंक दिनांक- 10.09.2017 तक उपलब्ध रहेगा। दिनांक 04.09.2017 के बाद परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए पुनः **login** करें तथा **make payment** पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें **Term & Condition** को टिक (✓) कर **Proceed** बटन दबाकर आगे बढ़ें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें **Select Payment Category** के सामने **IRBGCCE-2017** Select करें तथा अपना **Registration Number** डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। परीक्षा शुल्क

भुगतान करने के अगले दिन अपराह्न 02:00 बजे के पश्चात पुनः लॉगिन कर अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें तथा भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट अवश्य लें एवं उसे सुरक्षित रखें।

## 11. परीक्षा का स्वरूप

1. परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षा तीन चरणों में ली जायेगी –

(क) ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा

(ख) शारीरिक जाँच

(ग) चिकित्सीय परीक्षा

ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

2. (i) परीक्षा के लिए दो लाख अभ्यर्थियों की स्थिति में ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा के प्रत्येक पत्र की परीक्षा अलग-अलग किन्तु एक पाली में ली जायेगी।

(ii) दो लाख से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में अभ्यर्थियों को दो समूहों में विभाजित कर प्रत्येक पत्र की परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में आयोजित की जायेगी एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का normalisation किया जायेगा तथा normalised अंक के आधार पर ही मेधा सूची का निर्माण एवं परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। इस संबंध में आयोग अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा।

(iii) Normalisation का सूत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।

## (क) ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा :-

इस परीक्षा में दो पत्रों रहेंगे। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान तथा द्वितीय पत्र भाषा ज्ञान का होगा। जिसमें निम्नलिखित विषयों के प्रश्न रहेंगे।

(i) प्रथम पत्र- सामान्य ज्ञान

|                                 |          |                   |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| सामान्य अध्ययन                  | —        | 40 प्रश्न         |
| झारखण्ड राज्य से संबंधित प्रश्न | —        | 50 प्रश्न         |
| सामान्य विज्ञान                 | —        | 20 प्रश्न         |
| सामान्य गणित                    | —        | 10 प्रश्न         |
| <b>कुल</b>                      | <b>—</b> | <b>120 प्रश्न</b> |

(ii) द्वितीय पत्र- भाषा ज्ञान

इसके दो उपखण्ड होंगे। प्रथम उपखण्ड हिन्दी अनुच्छेद तथा व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न रहेंगे। इसी उपखण्ड में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान तथा व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे उपखण्ड में हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्दू/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी/ मुण्डा/

हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़ीया/ संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन करते हुए अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार किसी एक भाषा की परीक्षा देंगे। इसमें उस भाषा/साहित्य के सामान्य ज्ञान तथा व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न रहेंगे। संक्षेप में यह विवरण निम्नवत् है :-

### उपखण्ड 'क'

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| हिन्दी अनुच्छेद एवं व्याकरण पर आधारित प्रश्न   | — | 40 प्रश्न |
| अंग्रेजी अनुच्छेद एवं व्याकरण पर आधारित प्रश्न | — | 20 प्रश्न |

### उपखण्ड 'ख'

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| क्षेत्रीय/जनजातीय एवं अन्य भाषा/साहित्य पर आधारित            | — | 40 प्रश्न |
| क्षेत्रीय/जनजातीय एवं अन्य भाषा/साहित्य के व्याकरण पर आधारित | — | 20 प्रश्न |

---

**कुल — 120 प्रश्न**

प्रत्येक पत्रों की परीक्षा अवधि दो-दो घंटे की होगी। इनमें बहु विकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी। प्रत्येक पत्रों के प्रश्नों का स्तर मैट्रिक के स्तर का होगा।

## (ख) शारीरिक जाँच परीक्षा :-

- (1) यथा कंडिका- 6 के अनुसार ऊँचाई एवं सीने की माप का जाँच किया जायेगा। (महिलाओं की सिर्फ ऊँचाई की माप की जायेगी)

### 3. दौड़

- (क) पुरुषों के लिए 10 कि०मी० 60 मिनट में।  
 (ख) महिलाओं के लिए 05 कि०मी० 40 मिनट में।

शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए कोई अंक देय नहीं होगा अर्थात् यह मात्र क्वालिफाईंग प्रकृति का होगा किन्तु इसमें सफल होना आवश्यक होगा। असफल अभ्यर्थी नियुक्ति के अयोग्य होंगे।

## (ग) चिकित्सीय परीक्षा :-

चिकित्सा पर्सनल द्वारा अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लॉडनेश/नाईट ब्लॉडनेश, श्रवण शक्ति, हकलाहट, बेरिशोसेल (Bericocele)/हाईड्रोशील/पाईल्स तथा किसी प्रकार के संक्रामक रोग/मानसिक बीमारी का परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में उपरोक्त वर्णित दोष पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के अयोग्य होंगे।

## 12. परीक्षा शुल्क:—

परीक्षा शुल्क रू0 300 (तीन सौ रुपये) है।

**परीक्षा शुल्क में छूट:—** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0 75 (पचहत्तर रुपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में निम्नवत राशि का भुगतान भी करना होगा—

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग एवं डेबिट कार्ड द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू0 11.40।

(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के नेट बैंकिंग से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू0 17.10।

(ग) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के डेबिट कार्ड एवं किसी भी क्रेडिट कार्ड से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू0 12.54।

(घ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में चालान के द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू0 57.00।

## 13. मेधा सूची:—

(i) ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंको के योग के आधार पर अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्हतांक निम्न रूपेण होगा:—

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| (I) अनारक्षित/सामान्य वर्ग   | — | 40 (चालीस) प्रतिशत        |
| (II) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति   | — | 32 (बत्तीस) प्रतिशत       |
| (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)  | — | 34 (चौतीस) प्रतिशत        |
| (IV) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)   | — | 36.5 (साढ़े छतीस) प्रतिशत |
| (iv) झारखण्ड राज्य की स्थानीय निवासी महिला<br>[अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)<br>एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 2)] | — | 32 (बत्तीस) प्रतिशत       |

न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल नहीं किए जायेंगे तथा वे नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे।

(ii) ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा के दोनों पत्रों के प्राप्त अंको के योग के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची प्रारूप का निर्माण किया जायेगा।

(iii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र



ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊँचाई के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा। जिनकी ऊँचाई अधिक होगी उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा।

(iv) ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् प्रथम चरण में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए रिक्तियों की तीन गुणा संख्या में उम्मीदवारों को शारीरिक जाँच परीक्षा हेतु यथा समय गृह विभाग द्वारा गठित चयन पर्षद के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। शारीरिक जाँच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना आयोग के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों एवं आयोग के वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

आवश्यकतानुसार शेष अभ्यर्थियों में से अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों को भी उक्त परीक्षण में आमंत्रित किया जा सकेगा।

**शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए कोई अंक देय नहीं होगा अर्थात् यह मात्र क्वालिफाईंग प्रकृति का होगा किन्तु इसमें सफल होना आवश्यक होगा। असफल अभ्यर्थी नियुक्ति के अयोग्य होंगे।**

(v) शारीरिक जाँच परीक्षा में सफलता के पश्चात् चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा जिसमें सफल होना आवश्यक होगा। चिकित्सीय परीक्षा में असफल/अयोग्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(vi) शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय परीक्षण में सफल एवं न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच एवं परीक्षा की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त चयन हेतु एक मेधा सूची बनायी जायेगी जिससे रिक्ति के अनुरूप आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों का चयन कर परीक्षाफल प्रकाशित की जायेगी।

#### 14. नियुक्ति:-

(i) परीक्षा में सफलता सेवा में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जाँच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), एवं महिलाओं के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधधीन होगी।

#### 15. अन्यान्य

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।

4. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:—
- (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
  - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैटाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
  - (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :—
    - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
    - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
    - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :—
- (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
  - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
  - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
  - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
  - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
  - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
  - (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
  - (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
  - (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
  - (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
  - (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
  - (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित

परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मूल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।
- (xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के website पर upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रविष्टि अथवा फोटो में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अधीक्षक को आवेदन देकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे तथा आवेदन के साथ स्व:प्रमाणित प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र मूल में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में अपने साथ रखना होगा।
- (xviii) परीक्षा सिर्फ राँची में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परंतु आवश्यकता होने पर अन्य शहरों में भी परीक्षा आयोजित किया जा सकेगा।
- (xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यता: जमा करना होगा।
- (xx) परीक्षा में OMR ANSWER SHEET का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत की जाती है कि OMR ANSWER SHEET पर आवश्यक प्रविष्टि (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। OMR ANSWER SHEET पर उत्तर के लिए संबंधित गोला

को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। OMR ANSWER SHEET में किसी भी प्रकार के चिन्ह बनाये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

- (xxi) आयोग कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय आवेदक अपना Registration No/Roll No/ पूर्ण पता (Pincode सहित)/e-mail Id/ Mobile No. एवं संबंधित कागजात की Self Attested Photo Copy प्रति अनिवार्य रूप से दें।
- (xxii) इस परीक्षा से संबंधित सूचनाएँ समाचार पत्र तथा आयोग के वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) पर प्रकाशित किया जायेगा।
- (xxiii) आयोग को अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन एवं परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/-  
परीक्षा नियंत्रक

### परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि.  
-19-11/2008 का.-5682 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-I

(कार्यालय का नाम)  
जाति प्रमाण-पत्र  
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या-.....

तिथि:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ..... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .....डाकघर.....  
..... थाना ..... जिला ..... राज्य..... अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति' श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो  
झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा..  
....., शहर....., जिला....., राज्य.....में निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
नाम .....

दिनांक :-

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

-----

**परिशिष्ट (II)**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-  
7/जाति-19-11/2008 का-10007 दिनांक 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

**प्रपत्र-II**

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा  
वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री ..... ग्राम/शहर .....  
थाना ..... जिला ..... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो  
झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य  
पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001'ए' की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा  
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .....  
..... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के  
संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के  
कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक- 08.09.1993 की अनुसूची के  
स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक :-

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

**(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)**

1. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

## परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/स्थानीयता.  
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक- 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक- 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत  
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

.....  
(कार्यालय का नाम)  
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पिता/पति श्री..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....

.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह

प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198

दिनांक- 18.04.2016 की कंडिका- ..... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया

गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के

स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले  
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम